प्रारंभिक परीक्षा

ई-साक्ष्य(e-Sakshaya)

संदर्भ

तमिलनाडु पुलिस जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित ई-साक्ष्य नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी।

ई-साक्ष्य ऐप के बारे में -

- **उद्देश्य:** तमिलनाडु पुलिस कर्मियों को जांच के दौरान अनिवार्य दृश्य-श्रव्य साक्ष्य(audio-visual evidence) एकत्र करने, फोटो अपलोड करने और सुरक्षित, टाइम-स्टैम्प्ड **SID** पैकेट तैयार करने में सहायता करना।
- **विकासकर्ता:** केंद्रीय गृह मंत्रालय।
- **कार्यान्वयनकर्ता:** राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB), तमिलनाडु।
- **प्रमुख विशेषताएँ**:
    - दृश्य-श्रव्य साक्ष्य कैप्चर करना और अपलोड करना।
    - अपराध स्थलों/गवाहों की तस्वीरें अपलोड करना।
    - SID पैकेट (सुरक्षित, जियो-टैग्ड, हैश सत्यापन के साथ टाइम-स्टैम्प्ड साक्ष्य) उत्पन्न करना।
    - टाइमस्टैम्प के साथ प्रमाणपत्र उत्पन्न करना।
- **लक्ष्य**:
    - हिरासत की श्रृंखला को मजबूत करना।
    - न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना।
- **उपयोग**:
    - सभी जांच अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
    - अधिकारियों को ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है।
- **कानूनी अनुपालन**:
    - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का अनुपालन करता है।
    - एफआईआर, जीडी और सीएनआर नंबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- **बैकअप प्रोटोकॉल (जब ऐप अनुपलब्ध हो):**
    - **भाग-A प्रमाणपत्र**: पुलिस या वीडियोग्राफर द्वारा जारी किया जाता है।
    - **भाग-B प्रमाणपत्र:** BNSS की **धारा-329** के तहत एक विशेषज्ञ द्वारा जारी किया जाता है।
- **प्रयुक्त प्रौद्योगिकी**:
    - **ब्लॉकचेन**: डेटा अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए।
- **एकीकरण**:
    - आईसीजेएस/साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
    - न्यायालय और मजिस्ट्रेट ऑनलाइन साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

ओन्गे जनजाति(Onge tribe)

संदर्भ

पहली बार लिटिल अंडमान में ओन्गे जनजाति के बच्चों ने कक्षा 10 की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है।

ओन्गे जनजाति के बारे में -

- **ये नेग्रिटो नस्लीय समूह से संबंधित है।**
- **निवास स्थान**: ये लिटिल अंडमान द्वीप में निवास करते हैं।
- **जीवनशैली**: पारंपरिक रूप से अर्ध-खानाबदोश, ओन्गे लोग भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जैसे शिकार और संग्रहण।
- **धर्म**:
    - सरल जीवात्मवाद का पालन करते है।
    - कोई औपचारिक पूजा या प्रार्थना प्रथा नहीं।
    - विभिन्न आत्माओं में विश्वास करते है - जंगल, समुद्र, बीमारी, तूफान और पूर्वजों की।
- **भाषा:** ओन्गे लोग अपनी भाषा बोलते हैं जिसकी कोई लिखित लिपि नहीं है।
- **सांस्कृतिक विशेषताएँ**:
    - सफेद दांतों को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है।
    - अपने दांतों को लाल करने के लिए छाल चबाते हैं।
    - विशेष अवसरों पर, अपने शरीर और चेहरे को सफेद और गेरू रंग की मिट्टी से सजाते है।
- **सरकारी पुनर्वास**: वर्तमान में डुगोंग क्रीक में एक आरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, जो उनके मूल क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है।

हाल ही में समाचारों में -

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने हाल ही में **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत डुगोंग क्रीक में ओन्गे जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना की है, ताकि उन्हें नारियल आधारित उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।**

स्रोत: द हिंदू

काशी घोषणा

संदर्भ

वाराणसी में "विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा" विषय पर आयोजित युवा आध्यात्मिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस सम्मेलन में **600** से अधिक युवा नेताओं और **120** आध्यात्मिक संगठनों ने मिलकर "काशी घोषणा" को अंगीकार किया।

काशी घोषणापत्र क्या है?

काशी घोषणापत्र, जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम है। यह वर्ष 2047 तक नशा मुक्त, मूल्य-संचालित भारत के निर्माण के लिए युवा नेताओं और आध्यात्मिक संगठनों द्वारा अपनाई गई एक सामूहिक आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतिबद्धता है।

काशी घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं -

- **विजन:** 2047 तक विकसित भारत की नींव के रूप में नशा मुक्त युवा का निर्माण करना।
- **पंचवर्षीय रोडमैप:** इसमें निम्नलिखित के लिए 5-वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है:
    - आध्यात्मिक नेताओं और संस्थाओं को संगठित करना।
    - मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से युवाओं को शामिल करना।
    - नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **सामूहिक प्रतिबद्धता:** हस्ताक्षरित और समर्थित:
    - 600 से अधिक युवा नेता।
    - पूरे भारत से लगभग 120 आध्यात्मिक संगठन।
- **बहुआयामी दृष्टिकोण**:
    - आध्यात्मिक प्रथाओं (जैसे ध्यान, योग और नैतिक शिक्षाओं) का उपयोग।
    - सामुदायिक सहभागिता, मार्गदर्शन और सकारात्मक सहकर्मी प्रभाव को प्रोत्साहित करना।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण**:
    - भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का पूरक है।
    - नैतिक रूप से जागरूक और स्वस्थ युवा आबादी के निर्माण के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है।

स्रोत: पीआईबी

मंगल पांडे

संदर्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मंगल पांडे के बारे में -

- **मंगल पांडे को 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।**
- उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
- **उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के पास हुआ था।**
- वे 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए।
- **उन्होंने बैरकपुर में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 6वीं कंपनी में सिपाही के रूप में सेवा की।**
- **उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध विद्रोह किया, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे।**
- **29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने सीनियर सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया और उन पर गोलियां चला दीं।**
- उनके कार्यों से आक्रोश भड़क उठा और अन्य सैनिकों तथा नागरिकों को पूरे भारत में विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- **मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाल बागान में उन्हें फांसी दे दी गई।**
- घटना के बाद उनकी रेजिमेंट को भी बरहामपुर स्थित 19वीं इन्फैंट्री की तरह भंग कर दिया गया।
- वह एक राष्ट्रीय नायक हैं, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस और बलिदान के लिए याद किया जाता है।

स्रोत: पीआईबी

आईएनएस संध्याक(INS Sandhayak)

संदर्भ

भारत और मलेशिया के बीच जल सर्वेक्षण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस संध्याक ने मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में अपना पहला बंदरगाह आगमन किया।

आईएनएस संध्याक के बारे में -

- **क्लास और कमीशनिंग**:
  - स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए संध्याक श्रेणी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाजों का पहला जहाज।
  - फरवरी **2024 में कमीशन** किया गया।
- **निर्माणकर्ता:**
  - गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित।
- **प्राथमिक भूमिका:**
  - तटीय और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - यह बंदरगाह और हार्बर के विकास में सहायता करता है तथा नौवहन मार्गों और चैनलों की पहचान करता है।
- **परिचालन क्षेत्र**:
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ सहित भारत की समुद्री सीमाओं तक काम कर सकता है।
- **द्वितीयक भूमिकाएँ**:
  - सीमित रक्षा क्षमता प्रदान करता है।
  - युद्धकाल या मानवीय संकट के दौरान अस्पताल जहाज़ के रूप में कार्य कर सकता है।
  - ऑनबोर्ड हेलिकॉप्टर और चिकित्सा सुविधाओं के साथ खोज और बचाव (SAR) अभियानों में सक्षम है।
- **तकनीकी विशेषताएं**:
  - **निम्नलिखित से सुसज्जित**:
    - डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली
    - ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल(AUV)
    - रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल(ROV)
    - डिजिटल साइड-स्कैन सोनार
    - डीजीपीएस लंबी दूरी की पोजिशनिंग प्रणाली

स्रोत: पीआईबी

सरकार ने 78% कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को छूट क्यों दी है?

संदर्भ

पर्यावरण मंत्रालय ने 11 जुलाई को भारत के अधिकांश कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) उपकरण लगाने से छूट दे दी है, जो सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन को हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में SO_2 उत्सर्जन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है?

- **2015: उत्सर्जन मानदंड लागू:** कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO_2 और अन्य प्रदूषकों के लिए पहली बार उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए गए।
    - **ऐसे सभी संयंत्रों को दिसंबर 2017 तक FGD प्रणाली स्थापित करना आवश्यक था।**
- **कई बार विस्तार दिया गया:** समय सीमा को निम्नलिखित कारणों से चार बार बढ़ाया गया:
    - उच्च स्थापना लागत
    - तकनीकी चुनौतियाँ
    - बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना
    - बिजली दरों में वृद्धि का जोखिम
- **2021: अनुपालन के लिए संयंत्रों का वर्गीकरण:** संक्रमण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए, केंद्र ने 596 थर्मल इकाइयों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया -

वर्ग	स्थान	अनुपालन की समय सीमा
A	एनसीआर या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किमी के भीतर संयंत्र	2022
B	गंभीर रूप से प्रदूषित या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के भीतर संयंत्र	2023
C	शेष सभी संयंत्र	2024

- **श्रेणी C में सभी ताप विद्युत संयंत्र इकाइयों का लगभग 78% हिस्सा था।**
- **2024-25: आगे की छूट: 11 जुलाई, 2024 को सरकार ने नए मानदंड जारी किए:**
    - श्रेणी C संयंत्रों को FGD स्थापित करने से पूरी तरह छूट दी गई।
    - श्रेणी A को दिसंबर 2027 तक अनुपालन करना होगा।
    - श्रेणी B का मूल्यांकन मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा।
    - दिसंबर 2030 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले संयंत्र एक वचनबद्धता प्रस्तुत करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

संपादकीय सारांश

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहस को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है

संदर्भ

नई दिल्ली में 2026 का एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक विभाजन को पाटने, समावेशी नवाचार को बढ़ावा देने और जिम्मेदार, न्यायसंगत और जन-केंद्रित एआई शासन को आकार देने के प्रयासों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है।

एआई विनियमन की प्रगति में कमियां -

- **भू-राजनीतिक विखंडन:** वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के कारण एआई सहयोग पटरी से उतर रहा है - उदाहरण के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने पेरिस एआई शिखर सम्मेलन के अंतिम पाठ को अस्वीकार कर दिया, जबकि चीन ने इसका समर्थन किया।
    - यह विखंडन एक एकीकृत वैश्विक एआई शासन ढांचे के निर्माण को कमजोर करता है।
- **वैश्विक दक्षिण का बहिष्करण:** पिछले शिखर सम्मेलनों में विकासशील देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। उच्च-स्तरीय बैठकों में आधी मानवता "गायब" थी।
    - इससे वैश्विक चुनौतियों के लिए दृष्टिकोणों की विविधता और एआई समाधानों की प्रयोज्यता सीमित हो जाती है।
- **सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभाव:** रेड-टीमिंग और तनाव-परीक्षण एआई मॉडल के आह्वान के बावजूद, कोई एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट या सुरक्षा मानक नहीं है।
    - खंडित सुरक्षा संस्थाएं विश्वास को कम करती हैं और असुरक्षित एआई तैनाती के जोखिम को बढ़ाती हैं।
- **असमान एआई संसाधन और बुनियादी ढांचा:** कंप्यूटिंग शक्ति, डेटासेट और आधारभूत मॉडल तक पहुंच वैश्विक उत्तर (कैलिफोर्निया, बीजिंग) के तकनीकी केंद्रों में केंद्रित है।
    - विकासशील देशों के पास गति बनाए रखने के लिए क्लाउड क्रेडिट, भाषा डेटासेट और वित्त पोषण का अभाव है।
- **नियामक भ्रम:** राष्ट्र या तो अति-विनियमन कर रहे हैं (ईयू), अल्प-विनियमन कर रहे हैं (अमेरिका), या नियंत्रण को केंद्रीकृत कर रहे हैं (चीन), जिससे मध्यम आय वाले देशों में डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है।

भारत के लिए अवसर -

- **विभाजित शक्तियों के बीच सेतु:** भारत के पास ध्रुवीकृत गुटों (अमेरिका-चीन, पश्चिम-वैश्विक दक्षिण) के बीच मध्यस्थता करने के लिए कूटनीतिक विश्वसनीयता और रणनीतिक तटस्थता है।
- **एक मॉडल के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** भारत का आधार, यूपीआई और माईगव यह दर्शाते हैं कि डिजिटल उपकरण किस प्रकार समावेशी, मापनीय और पारदर्शी हो सकते हैं।
    - यह अनुभव सार्वजनिक कल्याण में वैश्विक एआई परिनियोजन के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करता है।
- **वैश्विक दक्षिण हितों का समर्थक:** भारत विकासशील देशों को संगठित कर सकता है, उनकी आवाज को सामने ला सकता है, तथा डेटा तक पहुंच, मॉडल विकास और एआई शिक्षा में समानता के लिए दबाव बना सकता है।
- **एआई फॉर बिलियंस फंड और भाषा नवाचार:** भारत एक विकासोन्मुख एआई फंड की स्थापना की पहल कर सकता है और देशी भाषाओं आधारित एआई मॉडल (बहुभाषी चुनौती) को बढ़ावा दे सकता है।
    - इससे सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और एआई की वैश्विक उपयोगिता का विस्तार होता है।

- **स्वैच्छिक, संतुलित विनियमन:** भारत एक मध्य मार्ग प्रस्तावित कर सकता है: खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित एक स्वैच्छिक आचार संहिता - जो यूरोपीय संघ के विनियमन से कम हस्तक्षेपकारी और अमेरिकी स्व-विनियमन से अधिक संरचित हो।

वैश्विक एआई विमर्श में भारत कैसे नेतृत्व कर सकता है -

- **अब तक के सबसे समावेशी एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना:** महाद्वीपों और हितधारक समूहों - सरकारों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, नागरिक समाज - की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **एआई प्रतिज्ञा और स्कोरकार्ड फ्रेमवर्क लॉन्च करना:** प्रत्येक देश/संगठन को 12 महीने के बाद पारदर्शी, ट्रैक करने योग्य रिपोर्ट कार्ड के साथ 1-2 ठोस, समावेशी एआई लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करना।
- **वैश्विक एआई सुरक्षा सहयोग आरंभ करना:** एक साझा सुरक्षा प्रोटोकॉल संग्रह बनाना; रेड-टीम स्क्रिप्ट, पूर्वाग्रह मूल्यांकन उपकरण, कंप्यूट-प्रकटीकरण दिशानिर्देश और घटना रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स।
- **सार्वजनिक-केन्द्रित एआई नवाचार को बढ़ावा देना:** ओपन-सोर्स मॉडल, ग्रामीण शिक्षा के लिए एआई, स्थानीय भाषाओं में स्वास्थ्य अनुवाद, तथा कृषि और जलवायु लचीलेपन में लघु-स्तरीय नवाचारों को प्रोत्साहित करना।
- **एआई-फॉर-गुड नैरेटिव को बढ़ावा देना:** एआई विमर्श को अस्तित्वगत जोखिम और कॉर्पोरेट नियंत्रण के भय से हटाकर समतामूलक विकास, स्थिरता और सशक्तिकरण के अवसर की ओर ले जाना।

स्रोत: द हिंदू

कॉलेज निर्माण के लिए मंदिर निधि का उपयोग

संदर्भ

- हाल ही में तमिलनाडु में मंदिरों के धन को कॉलेजों के निर्माण में लगाने के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया।
    - यह 200 वर्ष पुराने कानूनी और सामाजिक न्याय मॉडल पर प्रकाश डालता है जो धर्म के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक युग के कानून में हैं और जिसे दक्षिण भारत में जाति-विरोधी सुधारों से बल मिला है।

मंदिर विनियमन में सामाजिक न्याय मॉडल की पृष्ठभूमि -

- **औपनिवेशिक विधायी उत्पत्ति:** धार्मिक बंदोबस्ती के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा **धार्मिक बंदोबस्ती और एस्कीट्स विनियमन, 1817** शुरू किया गया।
    - यहां तक कि 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा धार्मिक मामलों से दूर रहने की घोषणा के बाद भी, मद्रास प्रेसीडेंसी में, अंग्रेजों ने व्यवस्था और राजस्व बनाए रखने के लिए मंदिरों के वित्त और भूमि पर निगरानी बनाए रखी - अनुष्ठानों पर नहीं।
- **जस्टिस पार्टी और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1925):** 1920 के बाद, जाति-विरोधी और तर्कवादी विचारधाराओं से प्रेरित जस्टिस पार्टी ने मंदिर प्रशासन को विनियमित करने वाले कानून बनाए और शिक्षा जैसे धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए अधिशेष मंदिर निधि को मोड़ने में सक्षम बनाया।
    - यह तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में धार्मिक संस्थाओं पर राज्य नियंत्रण की नींव बन गया।
- **तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 में संहिताकरण:** (मंदिर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद) अधिशेष मंदिर निधि का उपयोग कल्याणकारी गतिविधियों, जिनमें कॉलेज और शिक्षा शामिल हैं, के लिए करने की अनुमति दी गई।
    - यह कानून संवैधानिक मान्यता और न्यायिक अनुमोदन द्वारा समर्थित है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मंदिर:** ऐतिहासिक रूप से (चोल, विजयनगर काल में), मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कल्याण और सामुदायिक जीवन के केंद्र भी थे। यह मंदिर निधि के शैक्षिक उपयोग को मूल उद्देश्य की पुनर्स्थापना के रूप में समर्थन देता है।
- **सामाजिक न्याय और जाति-विरोधी विरासत:** आत्म-सम्मान आंदोलन ने मंदिर तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और गैर-ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति पर जोर दिया।
    - आज, तमिलनाडु और केरल ने पिछड़े वर्गों से पुजारी नियुक्त किए हैं, जो राज्य की निगरानी में समावेशी सुधार का प्रतीक है।

वर्तमान विवाद में उठाए गए प्रमुख मुद्दे -

- **धर्म और धन के उपयोग के इर्द-गिर्द राजनीतिक ध्रुवीकरण:** आलोचकों का तर्क है कि मंदिर के धन को धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए उपयोग करना धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन है, जिससे सांप्रदायिक और राजनीतिक भावनाएं भड़कती हैं।
- **कानूनी प्रावधानों की गलतफहमी:** कई लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि **1959 के अधिनियम की धारा 36 और 66** स्पष्ट रूप से केवल अधिशेष उपयोग और आयुक्त की मंजूरी जैसे सुरक्षा उपायों के साथ इस तरह के विचलन की अनुमति देती है।
- **चयनात्मक आक्रोश और पहचान की राजनीति:** इस मुद्दे पर अक्सर चुनावी लाभ के लिए हथियार बनाया जाता है, बजाय इसके कि कानूनी-ऐतिहासिक-सामाजिक संदर्भ में इस पर चर्चा की जाए।
- **सामाजिक न्याय की विरासत को कमजोर करना:** सरकारी निगरानी को वापस लेने से दलितों के लिए मंदिर प्रवेश और पुरोहिती विविधता जैसे समावेशी सुधारों को खतरा होगा।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता:** अधिशेष की गणना कैसे की जाती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तथा निधि-उपयोग डेटा तक सार्वजनिक पहुंच कैसे हो, इस बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

आगे की राह -

- **जन जागरूकता अभियान:** गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए जन कल्याण के लिए मंदिर निधि के उपयोग की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना।
- **निधि उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** नियमित रूप से ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना, सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करना, और स्पष्ट करना कि "अधिशेष" के रूप में क्या गिना जाता है।
- **संस्थागत निगरानी को मजबूत करना:** निधि के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व वाले स्वायत्त मंदिर बोर्डों या समितियों को सशक्त बनाना।
- **उद्देश्य-संबद्ध उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना:** सुनिश्चित करना कि निधि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए हो जो मंदिर की पारंपरिक भूमिकाओं, जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक कल्याण के साथ संरेखित हों।
- **पूर्ण निजीकरण या विनियमन से बचना**: सरकारी निगरानी को हटाने से जाति या समुदाय के अभिजात वर्ग के हाथों में नियंत्रण लौटने का जोखिम है, जिससे दशकों का लोकतंत्रीकरण और पहुंच उलट जाएगी।
- **धार्मिक दान पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना:** संतुलित, समावेशी और जवाबदेह धार्मिक संस्थागत ढांचे के लिए राज्यों में व्यापक चर्चा शुरू करने के लिए तमिलनाडु मॉडल का उपयोग करना।

स्रोत: द हिंदू

भारत की मिट्टी

संदर्भ

भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे देश से बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ वैश्विक चावल निर्यातक बन गया है, फिर भी मृदा क्षरण से पोषण गुणवत्ता को खतरा है, जिसके लिए मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण में भारत की उपलब्धियाँ -

- **खाद्य सहायता से वैश्विक अग्रणी तक**: भारत, जो 1960 के दशक में PL-480 के तहत अमेरिकी खाद्य सहायता पर निर्भर था, अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में 20.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया।
- **व्यापक खाद्य वितरण कार्यक्रम**: पीएम-गरीब कल्याण योजना (**PMGKY**) विश्व स्तर पर सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जो 800 मिलियन से अधिक लोगों को मासिक रूप से मुफ्त चावल या गेहूं प्रदान करता है।
- **अत्यधिक गरीबी में कमी**: 3 डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाली जनसंख्या (PPP) 2011 में 27.1% से घटकर 2022 में 5.3% हो गई है, जो गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्शाती है।

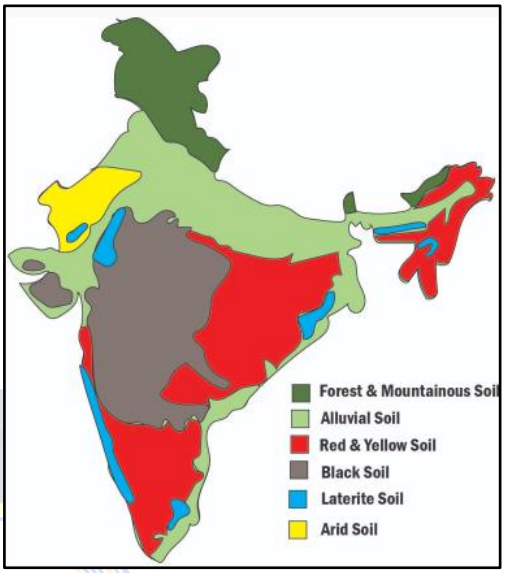

मृदा स्वास्थ्य का महत्व -

- **पोषण सुरक्षा का आधार**: मिट्टी की गुणवत्ता सीधे तौर पर फसलों की पोषण सामग्री को प्रभावित करती है - खराब मिट्टी पोषक तत्वों की कमी वाले भोजन की ओर ले जाती है और छिपी हुई भूख को बढ़ावा देती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य लिंक**: अपर्याप्त मिट्टी (जैसे, जिंक की कमी) के कारण फसलें कुपोषित हो जाती हैं, जिससे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास कम हो जाता है, तथा जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **पर्यावरणीय और जलवायु प्रभाव**: मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) जल धारण और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को नियंत्रित करता है। खराब मृदा स्वास्थ्य के कारण फसल की पैदावार कम होती है, प्रदूषण बढ़ता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है।

भारतीय मिट्टी से जुड़े प्रमुख मुद्दे -

- **गंभीर पोषक तत्वों की कमी:**
  - 5% से कम मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है,
  - केवल 40% में पर्याप्त फॉस्फेट है,
  - 32% में पर्याप्त पोटाश है,
  - केवल 20% में पर्याप्त **SOC** है।

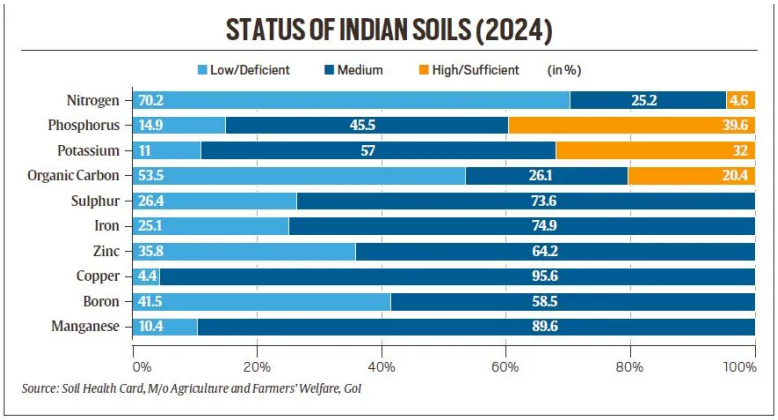

- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी**: मिट्टी में व्यापक रूप से जिंक, आयरन, सल्फर और बोरोन की कमी - जो फसल पोषण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
- **असंतुलित उर्वरक उपयोग**: पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्य अत्यधिक नाइट्रोजन उपयोग (+61%, +54%) दिखाते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम का कम उपयोग (-89% तक) करते हैं।
- **उर्वरक अकुशलता और प्रदूषण**: यूरिया नाइट्रोजन का केवल 35-40% ही फसलों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
    - शेष भाग हवा में (नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है) या पानी में (जिससे नाइट्रेट संदूषण होता है) नष्ट हो जाता है।
- **उर्वरक दक्षता में गिरावट**: उर्वरक-से-अनाज प्रतिक्रिया अनुपात 1970 के दशक के 1:10 से गिरकर 2015 में 1:2.7 हो गया है, जो इनपुट से घटते लाभ को दर्शाता है।

समाधान -

- **वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया जाना चाहिए तथा डेटा-आधारित पोषक तत्व अनुप्रयोग को सक्षम करने के लिए इसका कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
    - क्षेत्र-विशिष्ट, फसल-विशिष्ट उर्वरक योजनाओं को बढ़ावा दें, एक ही तरह की पद्धति को अपनाने से बचें।
- **मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को संतुलित करना:** तर्कसंगत एनपीके उपयोग सुनिश्चित करना, नाइट्रोजन के अधिक उपयोग और फास्फोरस और पोटेशियम के कम उपयोग से बचें।
    - फोर्टिफाइड उर्वरकों के माध्यम से जिंक, बोरोन और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जैविक कार्बन पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना:** फसल अवशेष प्रबंधन, हरी खाद, जैव-उर्वरक, कम जुताई के माध्यम से मृदा जैविक कार्बन (एसओसी) को बढ़ाना।
    - (रतन लाल के अनुसार) के एसओसी स्तर का लक्ष्य रखें, जो वर्तमान आईआईएसएस बेंचमार्क से अधिक हो।
- **उर्वरक उपयोग और नीति में सुधार:** दानेदार यूरिया से तरल/परिशुद्धता आधारित नाइट्रोजन वितरण की ओर बदलाव।
    - नाइट्रोजन की हानि को कम करने के लिए लेपित यूरिया और नाइट्रीकरण अवरोधकों का उपयोग करना।
    - निगरानी को कड़ा किया जाए तथा उर्वरक को गैर-कृषि उपयोग तथा पड़ोसी देशों में जाने से रोका जाए।
- **ज्ञान साझेदारों के साथ सहयोग:** क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों के लिए भारतीय खेतों में वैश्विक अनुसंधान एवं विकास लाने के लिए आईसीआरआईईआर-ओसीपी न्यूट्रीक्रॉप्स जैसी साझेदारियों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मृदा स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में देखें:** कृषि सुधार को पोषण नीति के साथ जोड़ें, यह स्वीकार करते हुए कि स्वस्थ मृदा स्वस्थ नागरिकों का उत्पादन करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस